फाइल नं0-71-3099/15/2021-03

177/2026/I/1518611/2026

प्रेषक,

हरीश कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 10 नवम्बर, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र सहायतित योजना "इस्टैबलिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल" (फेज-3) के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अमेठी के निर्माण कार्य हेतु धनराशि (राज्यांश एवं केन्द्रांश) का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-I/788879/2026, दिनॉक 17.09.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना "इस्टैबलिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल" (फेज-3) के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अमेठी के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-0122 (के060/रा040-के0 + रा0) में मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 9800.00 लाख के सापेक्ष रू0 7742.39 लाख (केन्द्रांश रू0 4645.43 लाख व राज्यांश रू0 3096.96 लाख) (रू0 सतहत्तर करोड़ बयालीस लाख उनतालीस हजार मात्र) की धनराशि एस0एन0ए0 स्पर्श प्लेटफार्म के माध्यम से स्वीकृत किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 यथासंशोधित में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।

(3) महानिदेशक/प्रधानाचार्य संतुष्ट हो लेंगे कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है तथा धनराशि का आहरण इसके पूर्व नहीं किया गया है।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

(5) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही भारत सरकार की प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) प्रश्नगत प्रकरण में अवमुक्त की जा रही केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि के लेखाशीर्षक के सम्बन्ध में एवं आकड़ों के आंकलन/शुद्धता तथा केन्द्रांश व राज्यांश की धनराशि के अनुपात से महानिदेशक स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।

(7) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था स्वंय उत्तरदायी होंगे।

(8) केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों/शर्तों/प्रतिबंधो का अनुपालन किये जाने का दायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।

(9) महानिदेशक द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में रू0 25.6655 करोड की निर्गत लिमिट का पृथक पृथक केन्द्रांश/राज्यांश का निर्धारित अनुपात में समायोजन दिनांक 31.03.2027 तक अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि दुर्विनयोजन (Misappropriation) अथवा व्ययवर्तन की स्थिति पायी जाती है तो महानिदेशक अपने स्तर से उतरदायी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

(10) द्वितीय एल०ओ०पी० हेतु वांछित उपकरणों/फर्नीचर क्रय हेतु प०वि० स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 11.02.2026 द्वारा रु० 21.4169 करोड़ की धनराशि आहरण सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत ही करना सुनिश्चित करेंगे। भविष्य में पत्रावली में गैर जरूरी आंकड़ों का अंकन नहीं किया जायेगा।

(11) अनुमोदित धनराशि व्यय करते समय प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा वित्तीय औचित्य के मानको (Standards of Financial Propriety) का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(12) प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत परियोजना में अनुबंधित लागत की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

(13) प्रश्नगत प्रायोजना की मूल स्वीकृति संबंधी शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 77,42,39,000 (रुपये सतहत्तर करोड़ बयालीस लाख उनतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050122 मेडिकल कालेज, अमेठी (के.60/रा.40-के.+रा.) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-175/दस-2026-27, दिनांक 10 नवम्बर, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरीश कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या/द्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अमेठी।
5. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अमेठी।
10. कोषाधिकारी, अमेठी।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।